<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>19.03.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस ("डब्ल्यूसीएस") के दोनों साझेदार अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर, रोहित विनोदकुमार ठाकुर द्वारा "ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व" की "ऑनलाइन टाइगर सफारी बुकिंग" से जुड़े कथित तौर पर किए गए घोटाले के संबंध में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर जिलों में स्थित कई अचल संपत्तियों और व्यक्तियों और संस्थाओं के विभिन्न खातों में पड़े बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियों जिनका कुल मूल्य **13.71 करोड़ रुपये** है, को 18/03/2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा चंद्रपुर जिले में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ वित्तीय कदाचार और गलत विनियोजन के माध्यम से वन विभाग को कथित रूप से धोखा देने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि डब्ल्यूसीएस को "ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व" द्वारा एक सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के माध्यम से नियुक्त किया गया था, ताकि आगंतुकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिसमें प्रवेश शुल्क, जिप्सी शुल्क और गाइड शुल्क एकत्र करना शामिल है। हालांकि, डब्ल्यूसीएस के दोनों साझेदारों, आरोपी अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर और रोहित विनोदकुमार ठाकुर ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को 16.5 करोड़ रुपये की ठगी की।

इससे पहले इस मामले में जनवरी 2025 में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रुपये मूल्य के सोने, बुलियन और प्लैटिनम के आभूषणों के अलावा कई डिजिटल डिवाइस और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे। तलाशी कार्यवाही से यह भी पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग अपने व्यक्तिगत नाम के साथ-साथ कुछ संस्थाओं के नाम पर संपत्तियां खरीदने और अपनी अन्य संस्थाओं के नाम पर लिए गए पिछले ऋणों का भुगतान करने में किया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।